राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रास्कूशिप / गुणवत्ता शिक्षा / विद्यालय अवलोकन / 2018–19 / 11025 दिनांक : 22-1-19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय – विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के नवीनतम मापदण्डानुसार विद्यालय अवलोकन के संबंध में।

संदर्भ– परिषद् के पत्र क्रमांक रास्कूशिप / गुणवत्ता शिक्षा / विद्यालय अवलोकन / 10845 दिनांक 18 / 01 / 2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार सत्र 2018–19 में राज्य के समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन हेतु संभाग / जिला / ब्लॉक स्तर, पीईईओ एवं अन्य अधिकारियों के लिए प्रतिमाह के मानदण्ड निर्धारित कर विद्यालय अवलोकन प्रपत्र अपलोड करने हेतु आदेशित किया गया है। इस क्रम में विद्यालय अवलोकन प्रपत्र अपलोड़ करने एवं अवलोकनकर्ता अधिकारी के पंजीकरण हेतु मॉड्यूल शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भ कर दिया गया है। अतः आपको आदेशित किया जाता है कि संदर्भित पत्र के अनुसार संलग्न अवलोकन प्रपत्र में विद्यालय अवलोकन कर प्रपत्र अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यालय अवलोकन एवं पंजीकरण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :–

1. विद्यालय अवलोकन प्रपत्र शाला दर्पण के स्वयं या स्वयं के कार्यालय के लॉग–इन से अपलोड़ किया जावे।
2. प्रपत्र अपलोड करने हेतु शाला दर्पण पर लॉग–इन पश्चात् Office - Vidhyalaya Avlokan - Vidhyalaya Avlokan Form पर क्लिक करें।
3. अवलोकनकर्ता के पंजीकरण हेतु शाला दर्पण पर लॉग–इन पश्चात् Office - Vidhyalaya Avlokan – अवलोकनकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
4. संभाग एवं जिला स्तर के अवलोकनकर्ता अधिकारियों का पंजीकरण जिला–सीडीईओ एवं जिला–एमआईएस लॉग–इन से किया जायेगा। अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की होगी।
5. ब्लॉक स्तर के अवलोकनकर्ता अधिकारियों का पंजीकरण ब्लॉक–सीबीईओ लॉग–इन से किया जायेगा। ब्लॉक स्तर के अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण की पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की होगी।

www.rajteachers.com

6. जिला स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों जैसे – जिला कलेक्टर, सीडीईओ, एडीए इत्यादि का पंजीकरण उक्त मॉड्यूल में कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। जिला स्तर व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवलोकित विद्यालयों के प्रपत्रों की ऑनलाइन फीडिं जिला–सीडीईओ लॉग–इन से की जावे।
7. ब्लॉक स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों जैसे – एसडीएम, तहसीलदार इत्यादि क पंजीकरण उक्त मॉड्यूल में कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। ब्लॉक स्तर के प्रशासनि अधिकारियों द्वारा अवलोकित विद्यालयों के प्रपत्रों की ऑनलाइन फीडिंग ब्लॉक–सीबीईअ लॉग–इन से की जावें।
8. अवलोकनकर्ता अधिकारी के पंजीकरण के बिना संबंधित अवलोकन प्रपत्र अपलोड नहीं क जा सकता है। अतः समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण आवश्यक रूप से कराय जाना सुनिश्चित करें।
9. संलग्न विद्यालय अवलोकन प्रपत्र सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोक हेतु उपयोग में लिया जावे।
10. समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालयों क अवलोकन हेतु नवीनतम प्रपत्र विकसित किया जा रहा है।
11. अन्य किसी जानकारी एवं तकनीकी सहयोग हेतु सर्वप्रथम अपने जिला अतिरिक्त परियोजन समन्वयक कार्यालय से संपर्क किया जावे। तत्पश्चात् राज्य कार्यालय समसा, जयपुर स्थि गुणवत्ता प्रकोष्ठ के दूरभाष नम्बर 0141–2701596 पर संपर्क करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त–द्वितीय

क्रमांक : रास्कूशिप / गुणवत्ता शिक्षा / विद्यालय अवलोकन / 2018 / 11026 **दिनांक :** 22-1-1

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
3. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेजकर लेख है कि आप अप कार्यालय के लॉग–इन से समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण दिशा–निर्देशानुस कराये जाने का श्रम करावें।
5. निजी सचिव, निदेशक, RSCERT, उदयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने कार्यालय व लॉग–इन से समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारियों के पंजीकरण दिशा–निर्देशानुसार कराये जाने व श्रम करावें।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिष जयपुर ।
7. डाइट, प्रधानाचार्य, समस्त जिले।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समसा, समस्त जिले।
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, समस्त ब्लॉक।
10. कार्यालय प्रति।

उपायुक्त–द्वितीय

www.rajteachers.com